–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीअंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा बलाडा, पटवार हल्का –बलाडा, तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर राजस्थान में प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 1050/9 रकबा 0.7284 हेक्टेयर किस्म बारानी दोयम की जमीन तक पहुँच मार्ग के लिये अभिलिखित रास्ता अप्रार्थी की आराजी राजस्व ग्राम बलाडा के खसरा संख्या 1050 रकबा 1.3031 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से दर्शित प्रस्तावित रास्ता जो 180 मीटर लम्बा व 9 मीटर चौड़ा रास्ता जो कुल रकबा 1620 वर्गमीटर 'बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण के खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी ख्खसरा संख्या 1050 रकबा 1.3031 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से कम किया गया कुल क्षेत्रफल 1620 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 1,36,500/– (अक्षरे एक लाख छतीस हजार पांच सौ रूपये) निर्धारित करते हुए तहसीलदार, जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 1,36,500/– (अक्षरे एक लाख छतीस हजार पांच सौ रूपये) प्रार्थी से प्राप्त कर प्रभावित पक्षकार को भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में रास्ता अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू–अभिलेख निरीक्षक–बलाडा द्वारा तैयार दिनांक 26.09.2025 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का एक भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)